कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एमिटेक टेक्सटाइल्स लि0, बी-20, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-1, पनकी, कानपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**027 /2015, 08.09.2015**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री एमिटेक टेक्सटाइल्स लि0, बी-20, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-1, पनकी, कानपुर द्वारा दिनांक 08.09.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा Polyester Filament Yarn को करमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 08.11.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-2295, दिनांक 05.10.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा मासिक रूप से दाखिल किये जा रहे रूपपत्रों में पालिएस्टर टेक्सचराइज्ड यार्न तथा यार्न ऑफ पालिएस्टर्स, पार्सिएली ओरिएन्टेड की बिक्री घोषित करते हुए 4% एवं 1% विशेष अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है । पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न पर करदेयता का विनिश्चय करने से पूर्व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के विभिन्न शेड्यूल में वर्णित प्रविष्टियों का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा जो निम्न प्रकार हैं :-

शेड्यूल	प्रविष्ट क्रमांक	प्रविष्टि
I	10	Cotton yarn in hanks and cones, silk yarn in hanks and cones; Poly cotton roving (puni) and slibers; Cotton newar, hand spun yarn, handloom newar; Baan made of kaans, moonj or sunn; Polyster and staple Fiber Yarn.
II-PART-A	6	All types of yarn other than cotton & silk yarn in hank; sewing thread ; cotton waste yarn.
II-PART-A	98	Polyester and staple Fiber yarn.
II-PART-C	179	Polyester texturised yarn.
II-PART-C	180	Yarn of Polyesters, partially oriented.

....2

विज्ञप्ति संख्या-1690, दिनांक 24.12.2013 से शेड्यूल-II, पार्ट-ए के प्रविष्टि क्रमांक-98 पर अंकित प्रविष्टि Polyester & staple Fiber yarn. को विलोपित किया गया एवं शेड्यूल-I के प्रविष्टि क्रमांक-10 पर Polyester and staple Fiber yarn. को पूर्व में अंकित प्रविष्टियों के बाद रखा गया। अर्थात् Polyester and staple Fiber yarn. को दिनांक 24.12.2013 से करमुक्त घोषित किया गया। पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न एवं पालिएस्टर एण्ड स्टेपल फाइबर यार्न दो अलग-अलग व्यापारिक वस्तुएं हैं जिनकी अलग-अलग गुणवत्ता है। चूँकि पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न अधिनियम के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के प्रविष्टि क्रमांक-6 पर अंकित प्रविष्टि All types of yarn के अन्तर्गत आता है। अत: इस पर 4% एवं अतिरिक्त कर से करदेयता आकृष्ट होती है। जहाँ तक माननीय अधिकरण के सन्दर्भित निर्णय का प्रश्न है, उसके परिशीलन से स्पष्ट होता है कि माननीय अधिकरण द्वारा भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय द्वारा दिनांक 07.01.2014 को जारी प्रमाण-पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया है कि-Staple fiber yarn means yarn made from small length of fiber of viscose / cotton / acrylic / polyester and this fact has futher veen certified by Nitra Powerloom service center and testing lab Meerut by way of issuing certificate dated 14.10.2014 के आधार पर दिया गया है जिसमें viscose staple fiber yarn & acrylic staple fiber yarn को व्यापार जगत में Polyester & staple Fiber Yarn. के अन्तर्गत माने जाने का निर्णय लिया गया है जबकि फीलामेन्ट यार्न का तात्पर्य-a fiber of indefinite or extreme length से है जो उक्त से भिन्न है। इस प्रकार पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसे staple Fiber Yarn के समान होने का कोई निर्णय नहीं दिया गया है। अत: माननीय अधिकरण का सन्दर्भित निर्णय के वाद में विद्यमान तथ्य तथा प्रश्नगत वाद के तथ्य भिन्न हैं जिसमें यह लागू नहीं होता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा मासिक रूप से दाखिल किये जा रहे रूपपत्रों में प्रश्नगत वस्तु पर 4% एवं 1% विशेष अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सुव्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा मासिक रूप से दाखिल किये जा रहे रूपपत्रों में प्रश्नगत वस्तु पर 4% एवं 1% विशेष अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम

.....3

रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सुव्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 /- 24.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जे0 एस0 फैब्रिक्स, 68 / 12, भूसा टोली, कानपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**015 /2015, 11.05.2015**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री जे0 एस0 फैब्रिक्स, 68 / 12, भूसा टोली, कानपुर द्वारा दिनांक 11.05.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कैनवेस कनोपी पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 08.11.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-449, दिनांक 04.06.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा कैनवेस कनोपी के निर्माण बिक्री का व्यापार किया जाता है तथा दाखिल किये गये रूपपत्रों में उक्त स्वनिर्मित वस्तु की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है । चूँकि व्यापारी द्वारा रूपपत्रों में करदेयता स्वीकार की जा चुकी है इसलिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निहित प्राविधान के अनुसार रूपपत्र दाखिल करते ही करदेयता का बिन्दु कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन हो जाता है । अत: प्रार्थना-पत्र धारा-59 (1) के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा कैनवेस कनोपी की बिक्री पर 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए नक्शों में घोषित किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । चूँकि प्रश्नगत प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी दाखिल की गयी है । अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए । वैसे भी प्रश्नगत व्यापारी के ही प्रार्थना-पत्र पर पूर्व में प्रार्थना-पत्र संख्या-42 / 10 में इसी बिन्दु पर आदेश दिनांक 09.08.2010 द्वारा निर्णय दिया जा चुका है । अत: पुन: इसी बिन्दु पर दिया गया प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

....2

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा कैनवेस कनोपी की बिक्री पर 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए नक्शों में घोषित किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है। वैसे भी प्रश्नगत व्यापारी द्वारा इसी बिन्दु पर दिया गया प्रार्थना-पत्र संख्या-42 / 10 दिनांक 09.08.2010 को निर्णीत किया जा चुका है। अत: पुन: उसी बिन्दु पर व्यापारी द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 / 24.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।